

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA विज पंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमा शुक्त वायुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विस्तिंग्टन आईसेंट, कोञ्चिन

Sevottam Compliant

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No.Vig./Misc./53/2018-Cus. मि.सं.सतर्कता/विविध/53/2018-सी. Dated:

December 2019.

दिनांक:

*०*८ दिसंबर 2019.

परिपत्र सं. CIRCULAR NO. 06/2019

विषय: वर्ष 2019 (01.01.2020 तक) के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी की प्रस्तुति- से संबंधित।

Subject: Furnishing of the Annual Immovable Property Returns for the year 2019 (as on 01.01.2020)-Reg.

सी सी एस (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत भर्ती के अनुपालन में इस सीमाशुल्क गृह के सभी सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्ष 2019 (01.01.2020 तक) के लिए अपनी वार्षिक अचल विवरणी संपत्ति (आई सीमाशुल्क पी आर) को कोचीन की http://www.cochincustoms.gov.in/default.php/forms पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफॉर्मा में 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

In compliance with the requirement under the CCS (Conduct) Rules, 1964 all staff members of this Custom House are required to furnish the Annual Immovable Property Returns (IPRs) for the year 2019 (as on 01.01.2020) on or before 31st January, 2020. The IPRs may be filed in the prescribed pro-forma available the website of Cochin Customs http://www.cochincustoms.gov.in/default.php/

forms.

2. इस सीमाशुल्क गृह के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उनके द्वारा वंशागत या उनके द्वारा स्वामित्व या क्रय की गई याअधिग्रहित या पट्टे पर ली गई या उनके नाम पर या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गिरवी रूप में रखी गई अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण दे। इस संबंध में दी गई पूर्व सूचना सूचना / अनुमित के विवरण को भी संपत्ति विवरणी में संलग्न किया जाए। ऐसी अचल संपत्ति विवरणी जो किसी भी प्रकार के अपेक्षित विवरण में अपूर्ण या कम पाई गई, उसे अभिलेखित नहीं किया जाएगा।

The staff members shall furnish full particulars regarding the immovable property inherited by them or owned or acquired by them or held by them on lease or mortgage, either in their own name or in the name of any member of their family or in the name of any other person. The details of prior intimation/permission given in this regard may also be annexed to the property return. Immovable Property Returns that are incomplete or deficient in any of the requisite details will not be taken on record.

3. विषय पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार, निर्धारित तिथि के भीतर आई पी आर जमा नहीं किया जाना संवेदनशील पदों पर मनोनयन, प्रतिनियुक्ति और तैनाती तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) में समुनदेशित करने के लिए सतर्कता अनापत्ति की अस्वीकृति को आमंत्रित करेगा ।

As per extant instructions on the subject, non-submission of IPR within the stipulated date would invite refusal of Vigilance clearance for empanelment, deputation, posting to sensitive posts and assignment to training programmes.

4. इन निर्देशों के गैर-अनुपालन को सख्ती से देखा जाएगा और चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

Non-Compliance with these instructions will be viewed seriously and action initiated against erring officials.

(मोहम्मद यूसफ़ MOHD. YOUSAF

सीमा शुल्क आयुक्त

COMMISSIONER OF CUSTOMS

To

- 1. सभी अधिकारी तथा कर्मचारी All Officers and Staff members
- 2. सीमाशुल्क अधीक्षक (ई डी आई) Supdt. of Customs (EDI)-सीमाशुल्क गृह कोचीन की वेबसाईट में प्रकाशित करने के लिए For publishing in the website of Custom House, Cochin.
- 3. सूचना पृष्ट Notice Board